



1

53

R.m.
dh
4/3/17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रवातियर म०१०

निगरानी क्र०

2017 R 916-I-17

निगराकार

1- राजाराम तनय देवराज कुसाहा

2- पप्पू तनय देवराज कुसाहा

3- महेश तनय देवराज कुसाहा

निवासीयान ग्राम कुबरी तह० पलेरा जिला-

टीकमगढ़ म०१०

बनाम

प्रतिनिगकाकारण

1- प्रकारा तनय पूरन उर्फ पुन्दा बसोर...

2- पप्पू तनय पूरन उर्फ पुन्दा बसोर...

3- कैलाश उर्फ दादा तनय पूरन उर्फ पुन्दा बसोर...

4- रामचरण तनय शिवलाल अहिरवार...

5- हरदयाल तनय ब जसरथ अहिरवार...

निवासीयान ग्राम आलमपुरा तह० पलेरा जिला-

टीकमगढ़ म०१०

6- म०१० शासन

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०१० मू राजस्व संहिता प्रतिकूल

राजस्व प्रकरण क्र० 9/अपील/2014-15 न्यायालय उपबन्ध अधिकारी

जतारा जिला- टीकमगढ़ के द्वारा पारित आदेश 13 फरवरी 2017

से पश्चिचेवित होकर ।

महोदय जी,

निगरानीकर्तागि की ओर से निम्न विनय सेवा में प्रेषित है:-

|| यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागि द्वारा

प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत म०१० मू रा० संहिता की धारा-47 सहपठित धारा-

XCCIX(a)-BR (M)-11


राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-बवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला टीकमगढ

प्रकरण क्रमांक 916-एक/17 निगरानी

स्मान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	एकमात्र तब अभिलेखों के ल
4-10-17	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 9/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-2-17 के विरुद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रमांक 9/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13-2-17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने इस आदेश द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2002 के विरुद्ध वर्ष 2014-15 में प्रस्तुत अपील को अवधि-वाह्य मानकर निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आदेश अंतिम स्वरूप का है जिसके विरुद्ध आवेदक को अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी गुणदो-दोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।</p>	


सर्वस्य

धारा-47 सहपठित धारा-

12/